



Uploaded on BSE Limited  
Website: <http://listing.bseindia.com>

Ho-425-S

March 20, 2019

Manager – Department of Corporate Services,  
Bombay Stock Exchange Ltd.,  
Registered Office: Floor 25,  
P J Towers, Dalal Street,  
Mumbai- 400 001

Dear Sir,

**(Scrip Code : 533033, Scrip Id: ISGEC)**

**Subject: Publication of newspaper advertisement of Postal Ballot Voting Results**

1. In terms of Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed newspaper advertisement of Postal Ballot Voting Results declared on March 18, 2019 and published on March 19, 2019.
2. The copies of the same in English daily news paper (Business Standard) and Hindi daily newspaper (Hari Bhoomi) at registered office Yamunanagar are attached for your record.
3. Request to kindly take this intimation on record.

Thanking you,

Yours faithfully,  
For Isgpec Heavy Engineering Limited

(S. K. Khorana)  
Executive Director and Company Secretary

Encl: As above

Printed and Published by Nandan Singh Rawat on behalf of Business Standard Private Limited and printed at The Indian Express (P) Ltd. A-8, Sector-7, Noida, Gautam Budh Nagar-201301 and published at Nehru House, 4 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi 110002

Editor : Shyamal Majumdar

RNI NO. 57376/1994

Readers should write their feedback at [feedback@bsmail.in](mailto:feedback@bsmail.in)  
Ph. 011-23720202, Fax : +91-11-23720201

For Subscription and Circulation enquiries please contact:  
**Ms. Mansi Singh**

**Head-Customer Relations**  
Business Standard Private Limited.  
3rd & 4th floor, Building H,  
Paragon Condominium, Opp Century Mills,  
P B Marg, Worli, Mumbai - 400 013  
E-mail: subs\_bs@bsmail.in  
"or sms, SUB BS to 57007"

**DISCLAIMER** News reports and feature articles in Business Standard seek to present an unbiased picture of developments in the markets, the corporate world and the government. Actual developments can turn out to be different owing to circumstances beyond Business Standard's control and knowledge. Business Standard does not take any responsibility for investment or business decisions taken by readers on the basis of reports and articles published in the newspaper. Readers are expected to form their own judgement. Business Standard does not associate itself with or stand by the contents of any of the advertisements accepted in good faith and published by it. Any claim related to the advertisements should be directed to the advertisers concerned. Unless explicitly stated otherwise, all rights reserved by M/s Business Standard Pvt. Ltd. Any printing, publication, reproduction, transmission or dissemination of the contents, in any form or by any means, is prohibited without the prior written consent of M/s Business Standard Pvt. Ltd. Any such prohibited and unauthorised act by any person/legal entity shall invite civil and criminal liabilities.

**No Air Surcharge**

## ISGEC HEAVY ENGINEERING LIMITED

CIN : L23423HR1933PLC000097

Registered Office : Radaur Road, Yamunanagar - 135001, Haryana.

Ph. : 01732-661061/62, Fax No. : 01732- 250991, Email Id : [roynr@isgpec.com](mailto:roynr@isgpec.com), Website: [www.isgpec.com](http://www.isgpec.com)

### Notice of Postal Ballot Results including e-voting

Notice is hereby given pursuant to the provisions of Section 108 and 110 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and other applicable laws and regulations, if any, to the Members that the Company has conducted the Postal Ballot (including e-voting), for passing Special resolutions and Ordinary resolutions as set out in the Postal Ballot Notice dated February 09, 2019.

The declaration of the Postal Ballot Results including e-voting is based on the Scrutinizer's Report dated March 18, 2019 and the same are as follows:-

Item No.	Particulars of Resolutions	Total No. of Votes cast (No. of Shares)	Total votes cast in Favour		Total votes cast in Against	
			No. of shares	% of votes	No. of shares	% of votes
1.	Special Resolution: Continuation of the directorship of Mr. Vinod Kumar Sachdeva, Non-Executive Independent Director of the Company.	60,86,833	60,84,314	99.96	2,519	0.04
2.	Special Resolution: Continuation of the directorship of Mr. Ranjit Puri, Non-Executive Director of the Company.	15,08,298	15,06,563	99.88	1,735	0.12
3.	Ordinary Resolution: Appointment of Mrs. Shivani Hazari as an Independent Director.	60,86,833	60,83,980	99.95	2,853	0.05
4.	Special Resolution: Approval of remuneration of Mr. Aditya Puri, Managing Director in terms of Regulation 17(6)(e) of SEBI Amended Listing Regulations for the remaining tenure of his appointment.	15,08,298	13,66,309	90.58	1,41,989	9.42
5.	Special Resolution: Approval of remuneration of Mrs. Nina Puri, Whole Time Director in terms of Regulation 17(6)(e) of SEBI Amended Listing Regulations for the remaining tenure of her appointment.	15,08,298	13,64,530	90.46	1,43,768	9.54
6.	Ordinary Resolution: Approval for Sub-Division of Equity Shares of the Company.	60,86,933	60,86,858	100	75	-
7.	Special Resolution: Approval for Alteration of Capital Clause in Memorandum of Association of the Company.	60,86,833	60,86,833	100	0	-

As per the result of Postal Ballot (including e-voting) all the resolutions have been passed by the requisite majority. The same is also available on the Company's website, <http://www.isgpec.com/about-us-financials-Notices-to-the-Shareholders.php> and also on the website of the stock exchange, [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com).

BY ORDER OF CHAIRMAN

sd/

(S.K. Khorana)

Executive Director & Company Secretary

Dated: 18.03.2019

## Aadhar Housing Finance Ltd.

Corporate Office: 201, Raheja Point-1, Near Shamrao Vitthal Bank, Nehru Road, Vakola Santacruz (E), Mumbai-400055.

Bareilly Branch: Ground Floor, Akash Floors, 320-Civil Lines, City Station Road, Bareilly - 243001 (UP), 243001 Contact : 7088848888



### PROPERTY FOR SALE UNDER PROVISIONS OF SARFAESI ACT, 2002 THROUGH PRIVATE TREATY

Whereas the Authorised Officer, Aadhar Housing Finance Limited (AHFL) has taken the Possession u/s 13(4) of the Securitisation & Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (The SARFAESI Act, 2002) of the property ("the Secured Asset") given below The Authorised Officer has received offer of Sale from some interested party against the above mentioned Secured Asset under the SARFAESI Act for recovery of the Secured Debt. Now, the property is being offered for sale through Private Treaty in terms of rule 8 and 9 of the Security Interest

# संवेदनशील बूथों की सूची केंद्र को भेज अर्द्धसैनिक बलों की 200 कंपनियां मांगी सुरक्षा-द्वयस्था को लेकर पड़ोसी राज्यों के साथ हुई उच्चस्तरीय बैठक

■ हिसार, सिरसा और रोहताक सबसे ज्यादा संवेदनशील  
■ पिछले लोकसभा चुनाव में 74 कंपनियां तैनात की गई थी

हरिभूमि ब्यूरो ► चंडीगढ़

प्रदेश गृह विभाग (गृहसचिव) एसएस प्रसाद ने प्रदेश में होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर कहा कि चुनाव आयोग से इस बार अर्द्धसैनिक बलों की दो सौ कंपनियों की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों की जानकारी भारत चुनाव आयोग के पास में भेज दी गई है। गृह सचिव एसएस प्रसाद ने लोकसभा क्षेत्रों का उल्लेख करते हुए बताया कि अंबाला और करनाल जिले सामान्य श्रेणी में आने वाले लोकसभा क्षेत्र में आते हैं। इसके अलावा कुरुक्षेत्र, सोनीपत, भिवानी महेंद्रगढ़, गुरुग्राम और फरीदाबाद संवेदनशील जिलों की श्रेणी में आते हैं।

अति संवेदनशील जिलों में जिनकी गिनती है, उनमें हिसार, सिरसा और रोहताक का नाम शामिल है। जिलों को संवेदनशील और अति संवेदनशील श्रेणी के जिलों में रखने के लिए अर्द्धसैनिक बलों की ओर से ही नियम निर्धारित किए जाते हैं। इसी तरह से संवेदनशील और अति संवेदनशील जिलों में ज्यादा सैनिकों की तैनाती की जाती है।



## खुफिया विभाग की सूचना का मूल्यांकन करने के बाद बूथों पर सुरक्षा की रणनीति बनाई जाएगी: गृह सचिव

आरक्षण आंदोलन के दौरान प्रभावित होने वाले जिलों में ज्यादा अर्द्धसैनिक बलों की अलग से तैनाती पर गृहसचिव का कहना है कि इस तरह की कोई बात नहीं है। बूथों की स्थिति के हिसाब से गणना का काम होता है। इसके साथ पुलिस द्वारा मूल्यांकन करने के अलावा खुफिया विभाग की ओर से उसका मूल्यांकन गणना होती है। इस बार के चुनाव के दौरान डेरा सच्चा सौदा से जुड़े लोगों की सक्रियता पर भी नजर रहेंगे। चुनाव के दौरान किसी भी डेरा मठ अथवा इससे जुड़े लोगों पर भी नजर रखी जाएगी ताकि किसी तरह का कोई माहौल खराब नहीं कर सकें। इसके साथ ही खुफिया तंत्र की रिपोर्ट और डेरे

की ओर से दिए जाने दिशा निर्देशों पर भी नजर रहेंगे। पंजाब के राज्यपाल की अध्यक्षता में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की अहम बैठक हुई। तीनों राज्यों का बेहतर तालमेल करने और चुनौती व्यवस्था को लेकर बैठक की गई। गृह सचिव ने बताया कि सभी स्तर पर डीजीपी हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली सभी में सम्मन्वय है। चुनाव से पहले राज्यस्तरीय सीमाओं पर भी खास नजर रखी जाएगी।



## साधुओं को नपुंसक बनाने के मामले की सुनवाई एक अप्रैल को

पंचकूला। साध्वी यौन शोषण मामले में सजा काट रहे डेरामुखी गुरमीत के डेरा अस्पताल में चार सौ साधुओं को नपुंसक बनाए जाने के मामले में सोमवार को सुनवाई होनी थी लेकिन पंचकूला में वकीलों के काम के बहिष्कार के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। मामले में जज कपिल राठी की सीबीआई अदालत में सुनवाई के लिए तारीख तय थी। लेकिन पंचकूला अदालत परिसर के वकीलों की ओर से वर्क सस्पेंड करने के चलते सुनवाई नहीं हुई। इस दौरान मुख्य आरोपी गुरमीत राम रहीम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश नहीं हुआ। अदालत की ओर से मामले में एक अप्रैल और 12 की तारीख तय की गई है। सुनवाई में बचाव पक्ष को गवाहों के बयान पढ़ाए जाने की प्रक्रिया चल रही थी। बता दें कि बचाव पक्ष ने कोर्ट से गवाहों के बयानों को पढ़ने के लिये समय लिया हुआ है। गत सुनवाई के दौरान आरोपी पंकज गर्ग के वकील को भी गवाहों के बयानों को पढ़ने के लिए अदालत की ओर से मंजूरी दी गई थी। यहां पर यह भी याद दिला दें कि बचाव पक्ष ने हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई थी जिसमें बचाव पक्ष ने मांग की थी कि उन्हें गवाहों के बयानों की प्रति प्रदान की जाए। हाई कोर्ट ने कहा था कि बचाव पक्ष गवाहों के बयानों को पढ़ सकता है लेकिन उन्हें कोई कॉपी नहीं दी जाएगी। अदालत ने बचाव पक्ष को समय दिया था जिसके बाद कोर्ट में आगामी कार्रवाई होगी। तीनों आरोपितों पर धारा 326, 417, 506, 120बी आईपीसी के तहत आरोप तय हो चुके हैं।

■ सोमवार को वकीलों ने वर्क सस्पेंड रखा

## किलोमीटर स्कीम का विरोध करेंगे कर्मचारी

चंडीगढ़। आल हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन के राज्य प्रधान हरिनारायण शर्मा, महासचिव बलवान सिंह देवदा व अन्य ने बयान जारी कर कहा है कि किलोमीटर स्कीम पर सरकार बैकफुट पर आ गई है तथा परिवहन विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा 510 बसों को भारी भरकम रेटों पर किलोमीटर स्कीम पर लेने का फैसला वास्तव में अपने निजी चहूतों को लाभ पहुंचाने के लिए जल्दबाजी में लिया गया। उन्होंने कहा कि हरियाणा रोडवेज ज्वाइंट एक्शन कमेटी शुरू से ही इस स्कीम का विरोध कर रही है। उन्होंने बताया कि सरकार ने वर्ष 2018 में 510 बसों 31.01 रुपये से 37.30 रुपये प्रति किलोमीटर के रेट पर चहूते ट्रासपोर्टर्स से हायर करने का एग्रीमेंट किया था जिसका कर्मचारी शुरू से विरोध कर रहे हैं।

## पूर्व खेल निदेशक पर शिकंजा कसने की तैयारी

### आईएसएस अधिकारी पर अपने बच्चों को मनमाने तरीके से पुरस्कार देने का आरोप

चंडीगढ़। हरियाणा प्रदेश खेल विभाग में तैनात रहे एक प्रमोटी आईएसएस अधिकारी द्वारा सरकारी पैसे की बंदरबांट करना और अपने दो बच्चों को मोटी राशि बतौर पुरस्कार देना गले की फांस बन गया है। वैसे, पूरे मामले का जब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल को पता लगा, तो सीएम ने ही इस गंभीर मामले में जांच के आदेश दिए थे। जिसके बाद खेल विभाग में बतौर प्रमुख सचिव तैनात रहे हरियाणा के चर्चित आईएसएस अफसर अशोक खेमका ने

अधिकारी ने जांच रिपोर्ट पर सवाल उठाए: पूरे मामले में पूर्व निदेशक और अब वित्त विभाग में तैनात जगदीप सिंह जांच रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए इसका जवाब देने का दावा कर रहे हैं। पूर्व निदेशक राशि को लेकर ज्यादा कुछ बोल नहीं रहे बल्कि दावा कर रहे हैं कि बेटी ने 24 अंतरराष्ट्रीय पदक जीते व 33 प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। विश्वविद्यालय चैंपियनशिप में भी उन्हें नौ दलों पुरस्कार मिला है। उसके पास में कुल 85 पदक हैं। बेटे के पास में 50 राष्ट्रीय पदक व 12 अंतरराष्ट्रीय पदक हैं। उनका तर्क है कि बतौर निदेशक मीम पुरस्कार प्रदान देने में सक्षम नहीं होता, जिस समय पुरस्कार दिया गया, तो उस समय समिति से हट गया था।

बारीकी से जांच पड़ताल के दौरान हर पहलू की बारीकी से जांच करने के अलावा नामी-गिरामी खेल विशेषज्ञों से पैसे की बंदरबांट को लेकर विचार

विमर्श भी किया। चर्चित अफसर अशोक खेमका ने इस मामले में जांच में पाया है कि खेल विभाग में बतौर निदेशक रहते हुए जगदीप सिंह ने

अपने अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज बेटे व बेटी गौरी श्योरान द्वारा 60 लाख से ज्यादा की राशि का फर्जी दावा कर ले लिए जाने व अपने पिता के प्रभाव का इस्तेमाल कर ली गई। 2013-16 वर्ष के दौरान जांच में पाया गया है कि गौरी श्योरान को 43 लाख रुपये अतिरिक्त जबकि बेटे विश्वजीत को 17 लाख रुपये का भुगतान किया गया। खेमका ने जांच में पाया है कि एचसीएस से पदोन्नति पाकर आईएसएस बने जगदीप सिंह ने हेराफेरी की इसीलिए उनपर केस दर्ज किया जाए।

## फूलों की होली का जमा रंग



पंचकूला। सोमवार को सेक्टर 12 के यादव भवन में होली मिलन समारोह का आयोजन किया। इस मौके पर फूलों की होली खेली गई। इस मौके पर एमएस राव, भागलाल यादव सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे।

इनेलो ने छत्र इकाई का विस्तार किया: चंडीगढ़। इंडियन नेशनल लोकदल छत्र इकाई आईएनएलडी छत्र संघ (आईएसओ) राष्ट्रीय प्रमोटी अर्जुन सिंह चौहान ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और आईएसओ के प्रदेश प्रमोटी संदीप मेन व प्रदेशाध्यक्ष रामबीर बडाला से विचार विमर्श करके कार्यकारिणी की घोषणा की है। उकेथल से दीप बालू और फतेहाबाद से विनीत बिजौरा को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। इसी प्रकार फतेहाबाद के एसएम कॉलेज से अजय अयालकी को कॉलेज प्रधान, टोहाना के आईजी कॉलेज से संदीप गिल को कॉलेज प्रधान, अनिल मेन को चैयरमैन, शनि चौहान उप-प्रधान व अजय को महासचिव बनाया गया है। इसके साथ अन्य पदाधिकारी भी नियुक्त किए गए।

## आईएसएस खेमका को हाईकोर्ट से राहत

### बैंच ने अधिकारी की एसीआर से नकारात्मक टिप्पणी हटाने के निर्देश दिए

हरिभूमि ब्यूरो ► चंडीगढ़

प्रदेश के वरिष्ठ आईएसएस अधिकारी अशोक खेमका को बड़ी राहत देते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस राजीव शर्मा की बैंच ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया कि वह अशोक खेमका की एनसीआर में जो नकारात्मक टिप्पणी की गई थी उनको तुरंत हटाए। ईमानदार अधिकारियों को संरक्षण देना जरूरी: हाईकोर्ट का आदेश खेमका की याचिका पर फैसला सुनाते हुए दिया है खंडपीठ ने खेमका की याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि खेमका जैसे ईमानदार अधिकारियों को

संरक्षण दिया जाना बेहद ही जरूरी है मुख्य मंत्री ने भी उनकी एसीआर में अंक कम करते हुए यह स्वीकार किया है कि खेमका एक ईमानदार और सत्यनिष्ठ अधिकारी हैं जो ईमानदारी के लिए देश भर में जाने जाते हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि जब हमारी राजनैतिक, सामाजिक और प्रशासकीय व्यवस्था में बड़ी तेजी से ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का पतन होता जा रहा है ऐसे माहौल में ईमानदार अधिकारियों को संरक्षण दिया जाना बेहद जरूरी। इस मामले में खेमका ने हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा उसके सीआर में नंबर कम कर नकारात्मक टिप्पणी करने को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। उस समय मामला काफी उछला था।

### कैट ने खारिज कर दी थी याचिका

इसे पहले खेमका ने कैट में गुहार लगाई थी लेकिन कैट ने खेमका की याचिका खारिज कर दी थी अब कैट के आदेश के खिलाफ खेमका ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस बार मामला उनकी 2016-17 की वार्षिक पदस्थ मूल्यांकन रिपोर्ट (एसीआर) से जुड़ा है। एसीआर में सीएम मनोहर लाल ने खेमका के अंक घटाते हुए प्रतिफल टिप्पणी की थी। इससे पदोन्नति रकबे का खतरा देख खेमका ने कैट (केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण) में अर्जी लगाई, लेकिन वहां से कोई राहत नहीं मिली। 1991 बैच के आईएसएस अशोक खेमका ने 7 जून 2017 को वर्ष 2016-17 के लिए एप्रोजल भरा था। इसमें मुख्य सचिव डीएस देसी ने उन्हें 10 में से 8.22 नंबर दिए। 27 जून को खेमका ने कैट के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने 3 साल में 20 से अधिक आईएसएस अफसरों के साथ काम किया, लेकिन कोई भी अधिकारी खेमका के करीब नहीं था। खेमका की योग्यता, सच्चाई, ईमानदारी का कोई सबूत नहीं। 31 दिसंबर 2017 को खेमका की एप्रोजल रिपोर्ट सीएम मनोहर लाल के पास पहुंची। सीएम ने खेमका के नंबर काट दिए और 10 में से 9 अंक दिए।

खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अनिल विज ने उन्हें 10 में से 9.92 अंक देते हुए टिप्पणी की है कि कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्होंने 3 साल में 20 से अधिक आईएसएस अफसरों के साथ काम किया, लेकिन कोई भी अधिकारी खेमका के करीब नहीं था। खेमका की योग्यता, सच्चाई, ईमानदारी का कोई सबूत नहीं। 31 दिसंबर 2017 को खेमका की एप्रोजल रिपोर्ट सीएम मनोहर लाल के पास पहुंची। सीएम ने खेमका के नंबर काट दिए और 10 में से 9 अंक दिए।

आईएसजीसी हेवी इंजीनियरिंग लिमिटेड						
CIN: L23423HR1933PLC000097						
पंजीकृत कार्यालय : रावै रोड, यमुनानगर-135001, हरियाणा						
Ph. : 01732-661061/62, Fax No. : 01732-250991, Email Id : roynr@isgce.com, Website: www.isgce.com						
ई-वोटिंग सहित डाक मतदान के परिणाम की सूचना						
एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमों, 2014 के नियम 20 और 22 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 108 और 110 और सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एवं डिस्कलोजर आवश्यकताएं) नियम 2015 के नियम 44 और सदस्यों पर लागू अन्य कानूनों और विनियमनों, यदि कोई है, कम्पनी ने डाक मतपत्र सूचना दिनांक 09 फरवरी 2019 में निर्धारित विशेष प्रस्ताव और सामान्य प्रस्तावों को पारित करने हेतु डाक मतदान (ई-वोटिंग सहित) का आयोजन किया था।						
ई-वोटिंग सहित डाक मतदान के परिणाम की घोषणा दिनांक 18 मार्च 2019 की संवैधानिकों की रिपोर्ट के आधार पर निम्नानुसार की गई है :-						
मद सं.	प्रस्तावों का विवरण	डाले गये वोटों की कुल संख्या (शेयरों की संख्या)	डाले गये वोटों की संख्या	वोटों का %	शेयरों की संख्या	वोटों का %
1.	विशेष प्रस्ताव : कम्पनी के गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक श्री विनोद कुमार सचदेवा की डायरेक्टरशिप को चालू रखना।	60,86,833	60,84,314	99.96	2,519	0.04
2.	विशेष प्रस्ताव : कम्पनी के गैर-कार्यकारी निदेशक श्री रणजीत पुरी को डायरेक्टरशिप को चालू रखना।	15,08,298	15,06,563	99.88	1,735	0.12
3.	सामान्य प्रस्ताव : श्रीमती शिवानी हजारी की एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति।	60,86,833	60,83,980	99.95	2,853	0.05
4.	विशेष प्रस्ताव : सेबी संशोधित लिस्टिंग नियमों के नियम 17(6)(ई) की शर्तानुसार श्री आदित्य पुरी, प्रबंध निदेशक के वेतन का उनकी नियुक्ति की शेष अवधि तक अनुमोदन।	15,08,298	13,66,309	90.58	1,41,989	9.42
5.	विशेष प्रस्ताव : सेबी संशोधित लिस्टिंग नियमों के नियम 17(6)(ई) की शर्तानुसार श्रीमती नीना पुरी, पूर्णकालिक निदेशक के वेतन का उनकी नियुक्ति की शेष अवधि तक अनुमोदन।	15,08,298	13,64,530	90.46	1,43,768	9.54
6.	सामान्य प्रस्ताव : कम्पनी के इक्विटी शेयरों के उप-विभाजन हेतु अनुमोदन	60,86,933	60,86,858	100	75	-
7.	विशेष प्रस्ताव : कम्पनी की मैमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की कैपिटल धारा के संशोधन हेतु अनुमोदन।	60,86,833	60,86,833	100	0	-

डाक मतदान (ई-वोटिंग सहित) के परिणाम के अनुसार अपेक्षित बहुमत द्वारा सभी प्रस्तावों को पारित कर दिया गया है। यह कम्पनी की वेबसाइट <http://www.isgce.com/about-us-financials-Notices-to-the-shareholders.php> पर भी उपलब्ध है और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) पर भी उपलब्ध है।

अध्यक्ष के आदेशानुसार हस्ता- (एस.के. खोगन) कार्यकारी निदेशक एवं कम्पनी सचिव

दिनांक : 18.03.2019

## जन सूचना

(अन्तर्गत धारा 3(E) 3(H) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956)

एतद् द्वारा सभी भूमि मालिकों/हितबद्ध व्यक्तियों का ध्यान राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अन्तर्गत धारा 3(A) अधिसूचना संख्या का.आ. 6241(अ) दिनांक 20 दिसम्बर 2018 सड़क के निर्माण कार्य के लिए अधिग्रहित किये जाने के संबंध में प्रकाशित करवाते हुए नियमानुसार धारा 3(D) का प्रकाशन का भारत सरकार के असाधारण राजपत्र संख्या का.आ. 954(अ) दिनांक 21 फरवरी 2019 को करवाया गया। तदपरिचाय प्रकाशित अधिसूचनाओं को विभिन्न स्थानीय समाचार पत्रों में निम्नवत् प्रकाशित करवाया गया -

क्र.सं.	अधिसूचना की विवरणी	समाचार पत्र का नाम	समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि
1.	धारा 3(A) का.आ. संख्या 6241(अ) दिनांक 20 दिसम्बर 2018	हरि भूमि एवं अमर उजाला	01 जनवरी 2019
2.	धारा 3(D) का.आ. संख्या 954(अ) दिनांक 21 फरवरी 2019	हरि भूमि एवं अमर उजाला	27 फरवरी 2019

इस क्रम में, तहसील जीन्द, जुलाना एवं सफिदों के अन्तर्गत ग्राम आसन, भैरों खेड़ा, डिगाना, ललित खेड़ा, निडाना, सिवाहा, बुढ़ा खेड़ा, लाठर, फतेहगढ़, किलाजफरगढ़, लजवाना कलां, लजवाना खुर्द, सिरसा खेड़ा, अमरावली खेड़ा, मड़ताना, जामनी, पिल्लू खेड़ा, रिटोली के सभी प्रमाथित किसानों/हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि अघोहस्ताक्षरी के द्वारा रा.ग. अधिनियम 1956 के धारा 3(डी) के तहत मुआवजे निर्धारण करते हुए इनका 3जी अवार्ड (परिसम्पत्तियों को छोड़कर) इस कार्यालय के आदेश संख्या 1987/एलएसी दिनांक 06.03.2019 के द्वारा घोषित किया जा चुका है। भूमि अधिधायी विभाग, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा 3जी अवार्ड में पारित मुआवजे की राशि को हितबद्ध व्यक्तियों के बीच नियमानुसार वितरण के लिए अघोहस्ताक्षरी के पास इसके निस्तारण के लिए जमा करवाया जा चुका है।

अतः संबंधित सभी भूमि मालिकों/हितबद्ध व्यक्तियों/दावेदारों को इस अतिरिक्त जनसूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है कि मुआवजे की राशि, जिसे आनलाईन माध्यम से उपलब्ध कराये गये खाते की विवरणी में जमा करवाया जायेगा, जनसूचना प्रकाशन की तिथि के 60 दिवस की अवधि में प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से अपना भूमि कब्जा समर्पण शपथ पत्र अघोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्राप्त: 10:00 बजे से शाम: 5:00 बजे के बीच जमा करा दें, अन्यथा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3(E) के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुलिस व प्रशासनिक सहयोग से 60 दिवस की समाप्ति के उपरान्त संबंधित भूमि पर कब्जा ले लिया जाएगा। इस संबंध में उक्त अवधि से समाप्ति के उपरान्त किसी भी तरह का कोई भी दावा/आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। मुआवजा राशि प्राप्त करने हेतु प्रार्थना कर, नकल जमाबन्दी, पासपोर्ट साईज फोटो, वैध पहचान पत्र/आधार कार्ड, निर्धारित प्ररूप में नोटेरी से प्रमाणित शपथ पत्र, बैंक पासबुक (जिसमें नाम, पता, खाता संख्या एवं आई.एफ.एस.सी कोड सहित) की स्पष्ट छायाप्रति के साथ इस जनसूचना प्रकाशन के 15 दिवस की अवधि के अन्तर्गत जिला राजस्व अधिकारी, जीन्द के कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करें।

सहम प्राधिकारी (भूमि अधिग्रहण) एवं जिला राजस्व अधिकारी, जीन्द

दस रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र जिसमें अधिग्रहणाधीन भूमि के बारे में निम्न कथन व्यक्त करें।

:- शपथ पत्र:-

मैं, ..... पुत्र श्री ..... आयु ..... वर्ष निवासी ..... तहसील ..... सशपथ कथन करता हूँ कि :-

(1) यह है कि मेरी खातेदारी की भूमि जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	खसरा नं.	रकबा	संरचना

(2) यह है कि उक्त भूमि समस्त भागों से मुक्त है, जिसे न तो मेरे द्वारा किसी वित्तीय संस्था को कहीं रहन (MORTGAGE) रखी गई है, ना कमी (नामी/बेनामी) बैचान की गई है और ना ही उक्त भूमि के संबंध में कमी किसी प्रकार का किसी से ही इस्कार किया गया है, यथा उक्त भूमि के हक अधिकारों व कब्जे का किसी भी प्रकार से कमी हस्तांतरण व अन्तरण नहीं किया गया है।

(3) यह है कि उक्त भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सड़क को चौड़ा करने/चार लेन/छ: लेन को बनाने आदि हेतु जो अवाप्त की गई है उसका विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	खसरा नं.	रकबा	संरचना

(4) यह है कि उक्त अवाप्त की गई भूमि व संरचनाओं बावत मेरे द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार से या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी से इसके पूर्व में कोई भी किसी भी प्रकार का मुआवजा राशि प्राप्त नहीं की गई, जिस तथ्य की पुष्टि हेतु मेरे द्वारा यह शपथ पत्र प्रदान किया जा रहा है।

(5) यह है कि उक्त अवाप्त की गई भूमि पर मेरा स्वामित्व किसी प्रकार से गलत साबित होता है तो इस हेतु अपराधिक व दीवानी दायित्व हेतु मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी एवं ऐसी स्थिति में सक्षम प्राधिकारी (भूमि अधिग्रहण अधिकारी) एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार का यह मुआवजा राशि एवं उक्त पर ब्याज 18 प्रतिशत वार्षिक दर सहित मैं उन्हें लौटा दूंगा/दूंगी, अन्यथा मेरे विरुद्ध दीवानी/न्यायिक कार्यवाही संस्थित करने हेतु उक्त अधिकारी व विभाग स्वतंत्र रहेंगे।

(6) यह है कि अवाप्त भूमि का किसी भी न्यायालय में विवाद नहीं चल रहा है एवं किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है।

(7) यह है कि मैंने अवाप्ताधीन भूमि का कोई भी विवरण छिपाया नहीं है।

(8) यह है कि मेरे द्वारा उक्त भूमि को स्वेच्छा से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को समर्पित किया जाता है।

दिनांक ..... हस्ताक्षर शपथकर्ता

:- सत्यापन :-

मैं, ..... पुत्र श्री ..... आयु ..... निवासी ..... तहसील .....

सत्यापित करता हूँ कि इस शपथ पत्र के बिंदु संख्या 1 से 8 तक मेरे निजी ज्ञान एवं जानकारी से सही है। इसमें मैंने कोई तथ्य नहीं छिपाया है।

दिनांक ..... हस्ताक्षर शपथकर्ता

नोट :-

- इसे किसी नोटेरी/कार्यपालक दफ्तन्यायक से प्रमाणित करायें।
- यदि कोई विवाद हो एवं स्थगन आदेश हो तो प्रमाणित प्रति इस शपथ पत्र के साथ संलग्न करें। भूमि किसी वित्तीय संस्था को रहन (MORTGAGE) रखी हुई हो तो उस संस्था का अदेय प्रमाणपत्र (No Dues) संलग्न करें।
- एक फोटो, पासपोर्ट साईज का शपथ पत्र चस्पा करें।

**शीघ्रपतन**  
स्त्री के सामने लज्जित होना बचपन की गलतियाँ

जोश आने पर वीर्य (राल) का निकलना निराश न हो, खोई हुई मर्दाना ताकत दोबारा प्राप्त करें मनुवाही इन्द्री वृद्धि, मनुवाही यौन क्षमता, तुष्टि-पुष्टि, संतुष्टि के लिए अभी काम करें या आज ही मिलें।

स्थापित 1929

**हाशमी**  
दवाखाना  
काजीजादा, अमरोहा  
9027281900  
9997161320